

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग  
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.)302005

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019/6132

दिनांक: 23-03-2022

कार्यालय आदेश 0.2/2022

राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनो की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलैक्ट्रिक वाहनो के क्रेताओं को SGST राशि का पुर्नभरण एवं एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया था। यह अनुदान 01.04.2021 से 31.03.2022 तक क्रय किये गये एवं 31.03.2022 तक पंजीकृत किये गये वाहनो पर देय था। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश 10/2021 दिनांक 16.07.2021 के क्रम में इलैक्ट्रिक वाहनो को दिये जाने वाले अनुदान की अवधि दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी की जाती है। शेष प्रावधान कार्यालय आदेश 10/2021 के अनुसार यथावत रहेंगे।



(महेन्द्र सोनी)


परिवहन आयुक्त एवं  
पदेन विशेष शासन सचिव

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019/6133-40

दिनांक: 23-03-2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



परिवहन आयुक्त एवं  
पदेन विशेष शासन सचिव